न्यायालय–मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती नीता यादव)

दावा प्रकरण क्रमांक –1070/2023
CNR–CGBI010054842023
संस्थित दिनांक–04.08.2023

1. अमृता कुमारी सूर्यवंशी, पति– स्व० विनोद कुमार
   उम्र – 23 वर्ष,
2. कृष्णा बाई गढ़ेवाल पति माखनलाल गढ़ेवाल,
   उम्र –52 वर्ष,
3. माखन पिता महेत्तर, उम्र–59 वर्ष,
   सभी निवासी– ग्राम नहरीभाठा जलसो, पो० आ० सेमरताल, थाना–कोनी, जिला– बिलासपुर (छ०ग०)

.......................**आवेदकगण**

– बनाम –

1. संजय कुमार श्याम पिता श्री जान सिंह श्याम,
   उम्र 32 वर्ष, ग्राम– सरगाढोढ़ी (बिटकुली),
   थाना- सीपत, जिला- बिलासपुर (छ०ग०)
   (चालक व पंजीकृत स्वामी वाहन मो०सा० क्र. सी.जी.12/ए क्यू /8416)
2. ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   द्वारा– मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय,
   श्रीराम ट्रेड सेंटर, राजीव प्लाजा के सामने पुराना बस स्टैण्ड
   बिलासपुर, जिला –बिलासपुर, (छ०ग०)
   (बीमा कर्ता कम्पनी वाहन मो०सा० क्र. सी.जी.12/ए. क्यू. /8416)

... .**अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से श्री रामजी सिंह यादव, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से श्री अजय सिंह, अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा श्री मनोज अग्रवाल, अधिवक्ता।

–:: अधिनिर्णय :–

{आज दिनाँक 20 जून, 2024 को घोषित}

1– इस अधिनिर्णय द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम वास्ते कुल 63,50,000/– (तिरसठ लाख पचास हजार) रूपए क्षतिपूर्ति राशि प्रदत्त किए जाने, का निराकरण किया जा रहा है ।

2– प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि, दिनांक 21.04.2023 को मृतक विनोद कुमार रात्रि लगभग 9.00 बजे स्वयं द्वारा चालित वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बीडी 4653 को चलाते हुए अपने साथी संजीत सूर्यवंशी को उसके ग्राम परसोढ़ी (परसदा) छोड़कर ग्राम नहरीभाठा पौंसरा वापस आ रहा था । परसदा लोक मार्ग पर पीछे से आ रहे मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 12 एक्यू 8416 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 अपने वाहन को अत्यधिक तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर और मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया। दुर्घटना में मृतक को सिर, पेट, पीठ सहित शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर एवं संघातिक चोंटे आईं । दुर्घटना को गोला वर्मा नामक व्य ने देखा और घटना के बारे में मृतक के परिजनो को सूचना दिया । आहत विनोद सुर्यवंशी को उपचार हेतु अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया, उपचार के दौरान विनोद कुमार सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई ।

3– थाना–कोनी, जिला–बिलासपुर ने प्रश्नाधीन दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध अपराध क्रमांक 186/2023 अन्तर्गत धारा 304(ए) भा०द०सं० पंजीबद्ध किया है तथा विवेचना पश्चात अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है ।

4– प्रश्नाधीन दुर्घटना के समय मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की

उम्र लगभग 27 वर्ष थी । दुर्घटना के पूर्व मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी नवनिर्मित एवं पुराने मकानों की पुताई एवं वालपुट्टी का कार्य ठेके पर लेकर लेबर–मजदूरों से सम्पादित करवाकर प्रतिमाह 25,000/– रूपऐ मासिक आय अर्जित करता था । आवेदिका क्र. 1 मृतक की पत्नी, तथा आवेदिका क्र.2 मृतक की माता एवं आवेदक क्रमांक 03 पिता हैं । आवेदकगण मृतक पर भरण पोषण हेतु आश्रित थे । मृतक की असामयिक मृत्यु होने से आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसका आंकलन किया जाना संभव नहीं है, लेकिन आवेदकगण को अनावेदकगण से मृतक की अर्जन क्षमता की हानि के मद में 25,00,000/– रूपए, मृतक के आकस्मिक निधन से भविष्य की आय की क्षति हेतु 7,00,000/–रुपये, दुर्घटना पश्चात मृतक के मृत्यु पूर्व उपचार में हुए व्यय की राशि 3,50,000/–रुपये, मृतक के आकस्मिक निधन से पत्नी को मानसिक कष्ट एवं स्नेह की क्षति हेतु 10,00,000/– रूपये , आवेदिकागण को मृतक के वृत्तिक कार्य से सदा विरत रहने से आय की क्षति हेतु 6,00,000/– रूपए, दाह संस्कार में खर्च हेतु 2,00,000/– रूपए , सम्पदा की हानि हेतु 3,00,000/–रुपये, अन्य तात्विक क्षतियां 5,00,000/–रुपये कुल योग 63,50,000/– (तिरसठ लाख पचास हजार) रूपए क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

5– अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा जवाबदावा पेश कर कहा गया है कि उसके द्वारा चालित वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 112 एक्यू 8416 से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है । दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई है । आवेदकगण ने बढ़ा–चढ़ाकर क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पेश किया है । दुर्घटना दिनांक को वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 12 एक्यू 8416 अनावेदक क्रमांक 01 के नाम पर अनावेदक क्रमांक 02 के पास बीमित था, इसलिए अनावेदक क्रमांक 01 क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है । अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे ।

6– अनावेदक क्र. 2 बीमा कंपनी ने जवाबदावा पेश कर कहा है कि, अनावेदक क्र. 1 ने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है । आवेदकगण ने बढ़ा– चढ़ाकर क्षतिपूर्ति राशि की मांग किया है । अनावेदक क्रमांक 01 ने बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया है । प्रश्नाधीन दुर्घटना में मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी का भी योगदान है। मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी के वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बी डी 4653 के स्वामी एवं बीमा कम्पनी आवश्यक पक्षकार है । प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन है । अतः प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे ।

7– उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं, जिनके सामने निष्कर्ष अभिलिखित हैं:–

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या, दिनांक 21.04.2023 को रात्रि 9.00 बजे परसदा रोड़ अंतर्गत थाना कोनी, जिला बिलासपुर में मोटर सायकल क्रमांक सी० जी० 12 ए०क्यू० 8416 के उपयोग से मृतक विनोद कुमार की मृत्यु कारित हुई ?	"प्रमाणित"
2.	क्या अनावेदक क्रमांक 01 वाहन चालक संजय कुमार के दोषपूर्ण कार्य द्वारा मृतक विनोद कुमार की मृत्यु हुई ?	"प्रमाणित"
3.	क्या, उक्त दुर्घटना मृतक के स्वयं की लापरवाही के कारण हुई ?	"अप्रमाणित"
4	क्या, मृतक द्वारा चालित मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बी०डी० 4653 के स्वामी एवं बीमा कम्पनी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं ?	"प्रमाणित नहीं"
5	क्या, घटना दिनांक को मृतक की 25,000/– रुपये मासिक आय थी ? यदि नहीं तो उसकी आय क्या मानी जायेगी ?	"प्रमाणित नहीं"काल्पनिक आय 10,000/–
6	क्या, अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बीमा शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यदि हां तो प्रभाव ?	"अप्रमाणित नहीं"

7.	क्या, आवेदकगण अनावेदकगण से 63,50,000 /–रुपये प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि नहीं तो कितनी प्रतिकर राशि के अधिकारी हैं ?	"प्रमाणित नहीं"
8.	क्या, अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथक–पृथक प्रतिकर की राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं ?	"प्रमाणित"
8.	सहायता एवं वाद व्यय ?	"कंडिका 24 के अनुसार "

–:: निष्कर्ष के आधार ::–

वाद प्रश्न क्रमांक 01 से 03 :–

8– श्रीमती अमृता कुमारी सूर्यवंशी आ.सा. 1 ने कहा है कि दिनांक 21.04.2023 को रात्रि 9.00 बजे उसके पति मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी अपनी मोटर सायकल में साथी संजीत सूर्यवंशी को ग्राम परसोढ़ी (परसदा) छोड़कर वापस अपने गृहग्राम आ रहा था रास्ते में परसदा रोड़ पर मोटरसायकल क्रमांक सी०जी० 12 ए०क्यू० 8416 के चालक अनावेदक क्रमांक–1 अपने वाहन को अत्यधिक तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मृतक के मोटर सायकल को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया जिससे मृतक अपने वाहन सहित रोड़ पर गिर गया । दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृतक के सिर, पेट, पीठ सहित शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर एवं संघातिक चोंटे आईं उसे तत्काल उपचार हेतु अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान 11.30 बजे मृतक की मृत्यु हो गई । दुर्घटना को गोला वर्मा ने देखा है ।

9– उक्त साक्षी ने अपने कथन के समर्थन में अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध संस्थित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1, प्रथम सूचना पत्र प्र.पी. 2, मर्ग इंटिमेशन प्र.पी. 3, मृत्यु प्रमाण पत्र प्र.पी. 4, पंचनामा की नोटिस प्र.पी. 5, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 6, शव

परीक्षण आवेदन एवं प्रतिवेदन प्र.पी.7, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 8, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 9 प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने दुर्घटना घटित होते हुए नहीं देखा था ।

10– अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध संस्थित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1 तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी. 2 एवं मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी 03 के अनुसार दिनांक 21.04.2023 को रात में लगभग 9.00 बजे परसदा रोड पर अनावेदक क्र. 1 ने वाहन मोटर सायकल क्रमांक– सी०जी० 12 ए०क्यू० 8416 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर विनोद कुमार सूर्यवंशी द्वारा चालित मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बी०डी० 4653 को पीछे से ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, परिणामस्वरुप चिकित्सा के दौरान विनोद कुमार सूर्यवंशी की मृत्यु हुई थी ।

11– दुर्घटना घटित होने की परिस्थितियों का सर्वोत्तम साक्षी अनावेदक क्रमांक 1 स्वयं है, परंतु अनावेदक क्रमांक 1 ने अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं का साक्ष्य पेश नहीं किया है । अनावेदक क्र. 1 के विरुद्ध संस्थित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज के आधार पर यह निष्कर्ष लिये जाने योग्य है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने मोटर सायकल क्रमांक– सी०जी० 12 ए०क्यू० 8416 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी के वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बी०डी० 4653 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, परिणामस्वरूप विनोद कुमार सूर्यवंशी की मृत्यु हुई थी ।

12– प्रश्नाधीन दुर्घटना मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की लापरवाही से घटित होने के संबंध में अनावेदकगण ने सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । फलतः यह निष्कर्ष लिया जाना संभव नहीं है कि प्रश्नाधीन दुर्घटना मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की स्वयं की लापरवाही से घटित हुई थी । अतः

वादप्रश्न क्रमांक **01, 02** का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** में और वादप्रश्न क्रमांक **03** का निष्कर्ष **"अप्रमाणित"** में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 04–

13– मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी के वारिसान/आवेदकगण पत्नी और माता–पिता ने दुर्घटना कारित करने वाले मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 12 ए०क्यू० 8416 के चालक, स्वामी और बीमा कम्पनी को बतौर अनावेदकगण संयोजित कर प्रश्नाधीन आवेदन प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति राशि की मांग किया है । इसलिए मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी द्वारा चालित वाहन मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 10 बी० डी० 4653 के स्वामी एवं बीमा कम्पनी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है । अतः वादप्रश्न क्रमांक **04** का निष्कर्ष **"प्रमाणित नहीं "** में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 06 :–

14– उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कम्पनी पर है परन्तु बीमा कम्पनी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । अभिलेख में उपलब्ध बीमा पालिसी की प्रति के अनुसार वाहन क्रमांक सी०जी० 12 ए क्यू 8416, अनावेदक क्रमांक 01 के नाम पर अनावेदक क्रमांक 02 के पास दिनांक 11.04.2023 से 10.04.2024 तक की अवधि के लिए बीमित था । अतः उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष अप्रमाणित है में दिया जाता है ।

वादप्रश्न क्रमांक 05, 07 एवं 08 :–

15– आ.सा. 1 अमृता कुमारी सूर्यवंशी ने कहा है कि दुर्घटना के समय विनोद कुमार सूर्यवंशी की उम्र 27 वर्ष थी । प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके पति की जन्मतिथि दिनांक 10.06.1993 है। अभिलेख में उपलब्ध विनोद कुमार सूर्यवंशी की अंकसूची हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा मार्च 2014 में मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की जन्मतिथि 10.06.1993

दर्ज है । फलतः यह निष्कर्ष लिए जाने योग्य है कि दुर्घटना के समय मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी ।

16– आ.सा. 1 अमृता कुमारी सूर्यवंशी ने कहा है कि दुर्घटना के पूर्व उसका पति मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी नवनिर्मित एवं पुराने मकानों की पुताई एवं वालपुट्टी का कार्य ठेके पर लेकर प्रतिमाह 25,000/– रूपऐ आय अर्जित करता था । प्रतिपरीक्षण में आवेदिका अमृता कुमारी सूर्यवंशी ०सा० 01 ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पति के कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । आवेदकगण की ओर से मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी द्वारा नवनिर्मित एवं पुराने मकानों की पुताई एवं \ वालपुट्टी का कार्य ठेके पर करवाकर प्रतिमाह औसतन 25,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

17. ठेके पर पोताई एवं बाल पुट्टी के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना संभव भी नहीं है । उक्त कार्य प्रतिदिन मिलना भी संभव नहीं है । अतः यह निष्कर्ष लिये जाने योग्य नहीं है कि मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी नवनिर्मित एवं पुराने मकानों की पुताई एवं वालपुट्टी का कार्य ठेके पर लेकर प्रतिमाह 25000/–रुपये आय अर्जित करता था । ऐसी स्थिति में मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की काल्पनिक आय **10,000/– रूपए** प्रतिमाह निर्धारित की जाती है ।

18. आवेदिका क्र. 1 मृतक की पत्नी है, आवेदिका क्र. 2 मृतक की माता एवं आवेदक क्रमांक 03 मृतक के पिता हैं । फलतः यह निष्कर्ष लिए जाने योग्य कि आवेदकगण पत्नी अमृता कुमारी सूर्यवंशी आवेदिका क्र. 1, माता आवेदिका क्रमांक 02 एवं पिता आवेदक क्रमांक 3 मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी पर भरण–पोषण हेतु आश्रित थे ।

19– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 25590/2014 "नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी वगैरह" में घोषित निर्णय दिनांक 31.10.2017 के अनुसार भावी प्रत्याशा के रूप में मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की 10,000/– रूपये मासिक आय में **40%** की वृद्धि शामिल किया जाना उचित होगा । अतएव मृतक विनोद कुमार सूर्यवंशी की मृत्यु पूर्व 10,000+ 4,000/– रूपये= 14,000/–रुपये मासिक की दर से 1,68, 000/–(एक लाख अडसठ हजार) रूपये वार्षिक आय निर्धारित की जाती है।

20– न्यायदृष्टांत ''2009 ए.सी.जे. 1298 (माननीय उच्चतम न्यायालय) सरला वर्मा वगैरह विरूद्ध देलही ट्रांसपोर्ट वगैरह'' के अनुसार यदि मृत्यु के समय मृतक विवाहित हो और उस पर 2 से 3 आश्रित हो तो मृतक के निजी रहन–सहन और व्यय की कटौती **1/3** की जायेगी। अतः आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि 1,12,000/–(एक लाख बारह हजार) रूपये निर्धारित की जाती है।

21– प्रश्नाधीन घटना के समय मृतक की आयु लगभग 30 वर्ष माना गया है। न्यायदृष्टांत ''2009 ए.सी.जे. 1298 (माननीय उच्चतम न्यायालय) सरला वर्मा वगैरह विरूद्ध देलही ट्रांसपोर्ट वगैरह'' के अनुसार यदि दुर्घटना के समय मृतक 26 से 30 वर्ष की आयु के बीच का था, तो **17** का गुणक होगा। तद्नुसार आश्रितता के मद में **19,04,000/–(उन्नीस लाख चार हजार)** रूपये स्वीकृत किया जाता है।

22– आवेदक क्र. 1 को साहचर्य की हानि, आवेदक क्र. 2 एवं 03 को प्रेम स्नेह की क्षति के मद में 40,000/–40,000/– रूपये, तथा आवेदक क्र. 1 से 3 को सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रूपये स्वीकृत किया जाता है । मृतक के अंतिम क्रियाकर्म हेतु 15,000/– रूपए प्रदान किया जाता है ।

23. इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि **20,54,000/– (बीस लाख चौव्वन हजार)** रूपये होती है ।

24. आवेदकगण कुल प्रतिकर राशि **20,54,000/– (बीस लाख चौव्वन हजार)** रूपये मय ब्याज 9% (नौ प्रतिशत) वार्षिक, अनावेदक क्र. 01 एवं 02 से संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के हकदार है । तद्नुसार वादप्रश्न क्र. **5,7,8** निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 09 –

25. अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम अंशतः स्वीकार किया जाता है एवं निम्न आदेश पारित किया जाता है –

(1) अनावेदकगण क्र. 1 से 2, आवेदकगण को संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से कुल प्रतिकर राशि **20,54,000/– (बीस लाख चौव्वन हजार)** रूपये, उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली दिनांक तक के 9% (नौ प्रतिशत) वार्षिक ब्याज सहित RTGS/NEFT के माध्यम से अधिकरण के खाते में जमा कर अदा करें। अनावेदकगण अवार्ड दिनांक से 02 माह के भीतर क्षतिपूर्ति राशि अदा करें ।

(2) यदि आवेदक क्र. 1 से 3 ने कोई अंतरिम प्रतिकर राशि प्राप्त किया हो तो उक्त अंतरिम प्रतिकर की राशि, कुल स्वीकृत प्रतिकर की राशि **20,54,000/– (बीस लाख चौव्वन हजार)** रूपये में समायोजित किया जाये तथा शेष राशि देय होगी।

(3) उक्त प्रतिकर राशि में से मृतक की विधवा आवेदिका क्र०1 अमृता कुमारी सूर्यवंशी को 10,54,000/–(~~पांच~~ दस लाख ~~बेसठ~~ चौव्वन हजार ~~पांच सौ~~) रूपए तथा मृतक की माता आवेदिका क्र.2 कृष्णा बाई गढेवाल एवं मृतक के पिता आवेदक क्रमांक 03 माखनलाल प्रत्येक को को 5,00,000/–5,00,000 (पांच–पांच लाख) रूपए प्रदान किया जाए ।

(4) मृतक की विधवा आवेदिका क्रमांक 1 श्रीमती अमृता कुमारी सूर्यवंशी को उसके हिस्से की प्रतिकर राशि 10,54,000/–(पांच लाख चौव्वन) में से 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) रूपए नगद भुगतान किया जाये तथा शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके नाम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया जाये। उक्त जमा धन राशि पर ब्याज का मासिक आधार पर संदाय प्रत्यक्ष रूप से उक्त आवेदिका क्र. 1 को किया जाये।

(5) आवेदिका क्रमांक 02 कृष्णा बाई एवं आवेदक क्रमांक–03 माखनलाल को उनके हिस्से की प्रतिकर राशि 5,00,000/–5,00,000/– रूपये में से 2,500,000/ – 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार–दो लाख पचास हजार) रूपए नगद भुगतान किया जाये तथा शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके नाम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया जाये। उक्त जमा धन राशि पर ब्याज का मासिक आधार पर संदाय प्रत्यक्ष रूप से उक्त आवेदिका क्र. 2 एवं आवेदक क्रमांक 03 को किया जाये।

(6) अनावेदकगण, आवेदकगण का दावा व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर 1,500/– (एक हजार पांच सौ) रूपये देय होगा।

तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जाये।

बिलासपुर,
दिनांक –20.06.2024

(श्रीमती नीता यादव)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर, (छ०ग०)

–:व्यय तालिकाः–

क्र	विवरण	आवेदक	अनावेदक क्र. 1	अनावेदक क्रमांक 02
1	दावा आवेदन	15.00	–	–
2	वकालतनामा	05.00	05.00	05.00
3	आवेदन	–	–	5.00
4	आदेशिका शुल्क	–	–	–
5	अधिवक्ता शुल्क	1500.00	–	–
	योग	**1520.00**	**05.00**	**10.00**

(श्रीमती नीता यादव)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ.ग.)